

1. बहियों के शेष मिलान और उनका समायोजन
 - 1.1 कुछेक शाखाओं में सहायक बही खाता शेषों के साथ नियंत्रक खातों के शेष मिलान/समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।
 - 1.2 खातों के विभिन्न शीर्षों में बकाया प्रविष्टियों के डेबिट-क्रेडिट का आरंभिक मिलान जिसे अंतर कार्यालय समायोजन में शामिल करके इस कार्य (जिसमें बकाया प्रविष्टियां शामिल हैं) को 28.02.2010 तक किया गया है और इसका समायोजन कार्य चल रहा है।
 - 1.3 बैंकों, नोस्ट्रो, ड्राफ्टों/देय टीटी, देय/भुगतान किए गए डिविडेंट वारंट, प्राप्य/देय डेबिट नोट, आरटीजीएस (उचंत) इत्यादि के साथ खातों का समायोजन का कार्य चल रहा है।
प्रबंधन की राय में, लाभ-हानि खाते व तुलन-पत्र पर उक्त पैरा 1.1 से 1.3 का प्रभाव यदि कोई है तो नगण्य होगा जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - 1.4 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप 30-9-2009 की अवधि तक तथा 31-3-2010 को बकाया अंतर शाखा के खातों की नामे तथा जमा प्रविष्टियों को अलग अलग करने का कार्य बैंक द्वारा किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ शीर्षों में नामे या कुछ शीर्षों में जमा शेष है। छः महीनों से अधिक की अवधि की निवल नामे प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किया गया है।
 - 1.5 असमायोजित नोस्ट्रो खातों की कुल निवल जमा को दिनांक 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुरूप रु-3.20 करोड़ (पिछले वर्ष रु.3.36 करोड़) को अवरूढ़ नोस्ट्रो विविध देनदार खातों में अंतरित कर दिया गया है जिसमें से रु.1.77 करोड़ को 14-11-1989 की अवधि से पहले के बही मूल्य पर लिया गया है। 01 अप्रैल 1996 के पश्चात की अवधि के लिए 3 वर्षों से अधिक हेतु बकाया रु.2.63 करोड़ की राशि (पूर्व वर्ष रु. 3.79 करोड़) को असमायोजित प्रविष्टियों से अलग कर उन्हें अदावी जमा (नोस्ट्रो) खाते में रखा गया है। दिनांक 01.04.1996 से दिनांक 31.03.2002 की अवधि के बीच जमा प्रविष्टियों के रु. 10509548.00 जोकि 2500 अमरीकी डालर से कम थी तथा अदावी जमा (नोस्ट्रो) खाते की राशि के बराबर थे, जिन्हें 01.04.1996 के बाद अदावी जमा (नोस्ट्रो) खाते में रखा गया था को भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 11.05.2009 संख्या डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.133/21.04.018/2008-09 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत दिनांक 31.12.2009 को प्रचलित टीटी क्रय दर पर 'विविध आय खाते' में अंतरित कर दिया था।
2. रु. 4.09 करोड़ की वास्तविक लागत की छः संपत्तियों के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी होनी शेष हैं। (पिछले वर्ष 7 संपत्तियां 4.81 करोड़ की थीं।)

3.1 पूंजी

(रु करोड़ों में)

	मर्दे	2009-10	2008-09
(i)	सी आर ए आर (%)	11.74%	11.88%
(ii)	सी आर ए आर- टियर I पूंजी (%) (बेसिल-1)	6.89%	6.99%
(iii)	सी आर ए आर-टियर II पूंजी(%) (बेसिल-1)	4.85%	4.89%
(iv)	सी आर ए आर (%) (बेसिल-II)*	13.10%	14.35%
(v)	सी आर ए आर-टियर I पूंजी (%) (बेसिल-II) *	7.68%	8.44%
(vi)	सी आर ए आर-टियर-II पूंजी (%) (बेसिल II) *	5.42%	5.91%
(vii)	भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता	100%	100%
(viii)	आईपीडीआई के निर्गम से प्राप्त राशि	160.00	160.00
(ix)	अपर टियर II लिखित से प्राप्त राशि	0	0
(x)	टियर-II की पूंजी के अंतर्गत वर्णित गौण ऋण राशि	1110	735.00
(xi)	इनमें से टियर-II के लिए पात्र राशि	1066	708.00

4. निवेश

4.1

(रु करोड़ों में)

मर्दे		2009-10	2008-09
निवेशों का मूल्य			
(i)	निवेशों का सकल मूल्य		
	(क) भारत में	17986.66	12656.43
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(ii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (एनपीए प्रावधान सहित)		
	(क) भारत में	99.82	29.00
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(iii)	निवेशों का शुद्ध मूल्य		
	(क) भारत में	17886.84	12627.43
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
2.	निवेशों में मूल्यह्रास के प्रावधानों में घट-बढ़ (एन पी ए के प्रावधानों सहित)		
(i)	अथ शेष	29.00	51.29
(ii)	जमा: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	74.21	3.30
(iii)	घटा: वर्ष के दौरान अधिक किए प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/पुनरांकन	3.39	25.59
(iv)	शेष	99.82	29.00

4.2 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेनदेन

4.2.1 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेनदेन प्रविष्टियां (सरकारी प्रतिभूतियां)

(रु करोड़ों में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	अथ शेष 31-03-2010
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां	196.00	1800.00	566.27	शून्य

4.2.2 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेनदेन प्रविष्टियां (कंपनी ऋण प्रतिभूतियां)

(रु करोड़ों में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	अथ शेष 31-03-2010
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.3 गैर-सांविधिक तरलता अनुपात वाली निवेश सूची : 31-03-2010 को जारीकर्ता संगठन की स्थिति:

(रु करोड़ों में)

संख्या	जारी कर्ता	राशि	निजी स्थापन की सीमा	निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतिकरण की सीमा	अमूल्यांकित प्रतिभूतियों की सीमा	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम	339.41	311.52	शून्य	25.00	25.00
ii.	वित्तीय संस्थान	669.61	582.55	शून्य	25.59	50.59
iii.	बैंक	1116.20	1114.55	शून्य	शून्य	शून्य
iv.	निजी कं.	302.68	253.37	शून्य	1.03	1.03
v.	सहायक/संयुक्त उपक्रम	0.65	0.65	शून्य	शून्य	0.65
vi.	अन्य	32.79	2.16	शून्य	शून्य	शून्य
vii.	मूल्यहास के लिए रखे प्रावधान (एनपीए सहित)	26.71	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	2434.63	2265.00	शून्य	51.62	77.27

4.4 अनुपयोज्य और गैर-सांविधिक तरलता अनुपात निवेशों में उतार चढाव

(रु करोड़ों में)

विवरण	2009-10	2008-09
अथ शेष	25.03	26.49
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	0.16
वर्ष के दौरान कटौतियां	शून्य	1.62
इति शेष	25.03	25.03
कुल प्रावधान	25.03	25.03

4.5 व्युत्पत्तियां

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने प्रतिरक्षा या व्यापारिक उद्देश्य से कोई भी नया व्युत्पत्ति लेनदेन (वायदा दर समझौता/ब्याज दर अदला-बदली/विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पत्तियां) नहीं किया है। तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्युत्पत्ति लेनदेन के संबंध में गुणात्मक व मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

4.6 वर्ष के दौरान पुनः संरचित/पुनः अनुसूचित/पुनः पराक्रमित निवेश

(रु करोड़ों में)

विवरण	2009-10	2008-09
मानक आस्तियां जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
अवमानक आस्तियां जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
अशोध्य आस्तियां जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
कुल आस्तियों की राशि जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य

4.7 वर्ष के दौरान क्रमशः रु.39.05 करोड़ तथा रु.0.93 करोड़ के प्रावधान करने के बाद बैंक ने रु.650 करोड़ (अंकित मूल्य) को "बिक्री हेतु उपलब्ध" शीर्ष से "परिपक्वता तक रखने" तथा रु. 45 करोड़ (अंकित मूल्य) "व्यापार हेतु रखने" से "बिक्री हेतु उपलब्ध" के शीर्ष में अंतरित किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी निवेश को "परिपक्वता तक रखने" के शीर्ष से "बिक्री तक रखने" के शीर्ष में अंतरित नहीं किया।

5 आस्ति गुणवत्ता

5.1 अनुपयोज्य आस्तियां

(रु करोड़ों में)

मदें	2009-10	2008-09
(i) शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एन पी ए (%)	0.36	0.32
(ii) प्रावधानन समावेश अनुपात (पीसीआर) (%)	89.62	92.80
(iii) सकल एन पी ए में घट-बढ़		
(क) अथ शेष	161.04	135.53
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	208.05	141.87
(ग) वर्ष के दौरान कमी	162.94	116.36
(घ) इति शेष	206.15	161.04

(iii) निवल एन पी ए में घट-बढ़	2009-10	2008-09
(क) अथ शेष	78.03	66.97
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	142.11	77.35
(ग) वर्ष के दौरान कमी	103.51	66.29
(घ) इति शेष	116.63	78.03

(iv) एन पी ए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)	2009-10	2008-09
(क) अथ शेष	78.95	65.71
(ख) जमा: वर्ष के दौरान प्रावधान	116.15	85.72
(ग) घटा: अधिक किए प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/पूर्णांकन	108.90	72.48
(घ) इति शेष	86.20	78.95

5.2 डी आई सी जी सी/ई सी जी सी के पात्र दावे, दाखिल तथा पुनः दाखिल दावे जो वैध/वसूली योग्य हैं, को अग्रिमों हेतु प्रावधान के लिए प्रतिभूति के आधार पर विचारणीय माना गया है।

5.3 पुनः संरचित किए गए खातों का विवरण

(रु करोड़ों में)

मर्दे		सीडीआर के अंतर्गत	एसएमई		अन्य			
			2009-10	2008-09	2009-10	2008-09		
(i)	पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किए गए मानक अभिम	उधारियों की संख्या	2	1	513	595	1582	2845
		बकाया राशि	28.44	5.68	61.52	83.99	542.53	434.62
		परित्याग (उचित मूल्य में ह्रास)	3.42	0.31	1.39	0.59	8.12	2.25
(ii)	पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किए गए अवमानक अभिम	उधारियों की संख्या	0	0	56	109	96	129
		बकाया राशि	0.00	0	1.91	5.54	1.19	2.93
		परित्याग (उचित मूल्य में ह्रास)	0.00	0	0.03	0.07	0.02	0.02
(iii)	पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किए गए अशोध्य अभिम	उधारियों की संख्या	0	0	45	2	23	1
		बकाया राशि	0.00	0	0.26 0	0.12	0.28	0.01
		परित्याग (उचित मूल्य में ह्रास)	0.00	0	0.01	0.00	0.01	0.00
(iv)	पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किए गए कुल अभिम (i) + (ii) + (iii)	उधारियों की संख्या	2	1	614	706	1701	2975
		बकाया राशि	28.44	5.68	63.69	89.65	544	437.56
		परित्याग (उचित मूल्य में ह्रास)	3.42	0.31	1.43	0.66	8.15	2.27

5.4 आस्ति पुनसंरचना हेतु प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

मदें	2009-10	2008-09
(i) खातों की संख्या	3	1
(ii) एस सी / आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (शुद्ध प्रावधान)	शून्य	शून्य
(iii) कुल प्रतिफल	22.00	1.38
(iv) पहले के वर्षों में खातों के हस्तांतरण से वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	0.95	शून्य
(v) शुद्ध बही मूल्य के ऊपर कुल लाभ / हानि	22.00	1.38

(* कुल प्रतिफल राशि में रु. 22 करोड़ नकदी तथा रु. शून्य करोड़ की प्रतिभूति रसीदें शामिल हैं ।

5.5 खरीदे/बेचे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण:

क) खरीदे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण

रु.करोड़ों में

विवरण	2009-10	2008-09
क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते	शून्य	शून्य
ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खाते	शून्य	शून्य
ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य

ख) बेचे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण

रु.करोड़ों में

विवरण	2009-10	2008-09
बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
कुल बकाया	शून्य	शून्य
प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

5.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान

मर्दे	रू. करोडों में	
	2009-10	2008-09
मानक आस्तियों पर प्रावधान	127.43	121.69

5.7 क) भारत सरकार द्वारा चालू की गई कृषि ऋण छूट तथा ऋण सहायता योजना 2008 की शर्तों के अनुरूप रू.47.72 करोड़ की राशि को ऋण छूट योजना के अंतर्गत छूट दे दी गई है और केंद्रीय सांविधिक लेखाकारों के सत्यापन के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक को दावा दायर कर दिया है जिसके एवज़ में बैंक को रू..31.23 करोड़ प्राप्त हुए हैं। दिनांक 31.03.2010 तक कृषि ऋण सहायता योजना के अंतर्गत रू. 14.73 करोड़ के दावों का निपटान हो गया है। उपरोक्त दावे सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणीकरण पर ही मान्य होंगे।

5.8 ऋण सहायता योजना के संबंध में, बैंक ने रू. 0.44 करोड़ का प्रावधान किया है जो कि पात्र किसानों से रू. 0.68 करोड़ के वर्तमान प्रावधान से प्राप्त राशि के वर्तमान मूल्य में हानि के एवज़ में है तथा शेष प्रावधान का पुनरांकन कर दिया गया है। योजना के अनुसार, इन खर्तों में बकाया को मानक श्रेणी मान लिया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, उपरोक्त योजना में अन्य किसानों द्वारा कालातीत भुगतान की राशि के 75% के भुगतान हेतु एक या अधिक किशतों में भुगतान की दिनांक 30.06.2010 तक कर दी है।

6. कारोबार अनुपात

	मर्दे	2009-10	2008-09
(i)	औसत कार्यशील निधियों का ब्याज आय में प्रतिशत	8.10%	9.35%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों का गैर ब्याज आय में प्रतिशत	0.85%	1.17%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों का परिचालन लाभ में प्रतिशत	1.81%	2.08%
(iv)	आस्तियों से आय	1.05%	1.24%
(v)	प्रति कर्मचारी (रूपये करोडों में) कारोबार (जमाराशियां+ अग्रिम)	9.63	6.56
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रूपए करोडों में)	0.06	0.05

7 आस्ति देयता प्रबंधन

31.03.2010 को आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप:

(रु. करोड़ में)

परिपक्वता स्वरूप (समयावधि)	जमाराशियां	ऋण तथा अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					देयताएं	आस्तियां
1 दिन	421.15	200.31	शून्य	शून्य	45.83	122.18
2-7 दिन	798.15	489.48	249.40	1598.92	2.68	118.35
8-14 दिन	1339.46	1508.39	440.74	शून्य	5.73	14.14
15-28दिन	3875.01	1827.33	424.72	शून्य	33.78	60.31
29 दिन से 3 माह तक	7571.19	7023.82	1085.58	522.45	24.47	125.49
3 माह से अधिक 6 माह तक	8355.47	4309.31	192.12	34.60	63.19	177.71
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	13247.48	2269.71	53.16	0.08	118.27	शून्य
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	5290.26	6218.54	826.25	120.00	47.57	शून्य
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	1972.35	3627.61	2152.84	40.00	6.83	शून्य
5 वर्ष से अधिक	6276.56	5178.05	12462.03	1385.00	शून्य	शून्य
कुल	49155.08	32652.55	17886.84	3701.05	348.35	618.18

8. ऋण जोखिम

8.1 वास्तविक संपदा क्षेत्र को ऋण जोखिम

(रूपये करोड़ों में)

	श्रेणी	31.03.2010	31.03.2009
1.	प्रत्यक्ष ऋण		
	क) रिहायशी बंधक		
	i. ऐसी संपत्तियां जिन पर उधारी का कब्जा है या किराये पर दी हुई हैं, को दिया गया ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है।	1319.39	1180.84
	ii. व्यक्तिगत आवास ऋण जो कि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में सम्मिलित करने योग्य हैं	1059.97	931.22
	ख) व्यावसायिक वास्तविक संपदा		
	i) व्यावसायिक वास्तविक संपदा पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण (कार्यालय, भवन, बहुआयामी व्यापारिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवन, व्यावसायिक परिसर जहाँ बहुत से किरायेदार रहते हों, औद्योगिक संस्थान या मालगोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण आदि) ऐसी ऋण सीमाओं में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी)के ऋण भी शामिल हैं।	1978.93	1640.74
	ग) बंधक प्रतिभूतियों में विनियोग (एम.बी.एस) और अन्य जमानती ऋण	शून्य	शून्य
	क. रिहायशी	शून्य	शून्य
	ख. व्यावसायिक-वास्तविक संपदा	शून्य	शून्य
2.	अप्रत्यक्ष ऋण {राष्ट्रीय आवास (एन.एच.बी.) और आवास वित्त बैंक (एच.एफ.सी.) को निधि एवं गैर-निधि आधारित ऋण}	2372.33	1308.23
	वास्तविक संपदा क्षेत्र में कुल ऋण भागेदारी	6730.62	5061.03

8.2 पूंजी बाज़ार में ऋण भागीदारिता

रु. करोड़ों में

मदें	31.03.2010	31.03.2009
1. इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय ऋण पत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के यूनिटों में निवेश जिनका पूर्ण रूप से कम्पनी ऋणों में विनियोग नहीं किया गया	113.63	53.82
2. सामान्य अंशों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस) परिवर्तनीय बांड्स, परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में विनियोग के लिए अंशों/बाण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज़ में एकल स्वामियों को दिए गए अग्रिम	शून्य	0.08
3. किसी अन्य उद्देश्य हेतु दिया गया अग्रिम जहां अंशों या परिवर्तनीय अंशों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	0.01	0.18
4. अंशों की संपार्श्विक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों द्वारा प्रत्याभूत अन्य उद्देश्यों हेतु दिए गए अग्रिम अर्थात् जहां पर अंशों/परिवर्तनीय बाण्डों/परिवर्तनीय ऋण पत्रों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों पर दिए गए अग्रिमों को प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा पूर्ण रूप से प्रत्याभूत नहीं किया गया	शून्य	0.01
5. स्टाक ब्रोकरों को जमानती व गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टाक ब्रोकरों और मार्केट मेकर्स द्वारा जारी गारंटियां	9.27	3.49
6. नई कम्पनियों की इक्विटी हेतु फण्डस एकत्रित करने के लिए तथा प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए जो अंशों/बाण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियां या निर्बंध आधार पर कंपनियों के संस्वीकृत ऋण	शून्य	शून्य
7. प्रत्याशित इक्विटी उपलब्धता / निर्गमों पर कम्पनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
8. प्राथमिक अंशों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के संबंध में बैंकों द्वारा किए हामीदारी वायदे	शून्य	शून्य
9. मार्जिन सोदों हेतु स्टाक ब्रोकरों को दिया गया वित्त	शून्य	शून्य
10. पूंजी निधियों पर ऋण जोखिम (पंजीकृत तथा अपंजीकृत)	0.88	1.22
पूंजी बाजार में कुल ऋण भागीदारी	123.79	58.80

8.3 देशवार ऋण जोखिम

देशांतर आधार पर बैंक द्वारा विदेशी विनिमय लेनदेन के संबंध में दिए गए निवल ऋण जो प्रत्येक देश से संबंधित हैं, बैंक की कुल आस्तियों के 1 % के अंदर हैं। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

8.4 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारी सीमा (एस जी एल) समूह उधारी सीमा (जी.बी.एल) के विवरण

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकल उधारी /समूह उधारी हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सीमा को पार नहीं किया है सिवाय निम्न मालमों के जिनपर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। (रूपए करोड़ों में)

क्र.सं.	उधारियों के नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम ऋण सीमा	दिनांक के अनुसार ऋण जोखिम (%)	31.03.10 को ऋण सीमा/देयताएं	ऋण जोखिम (%)
1.	एफ.सी.आई.	685.00	22.01.2010	687.95	20.08

8.5 अमूर्त संपार्थिक प्रतिभूतियों पर प्रतिभूती-रहित अग्रिम

(रूपए करोड़ों में)

विवरण	31.03.2010
अमूर्त प्रतिभूतियों हेतु कुल अग्रिम जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसों आदि, पर ऋण भार	शून्य
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल अनुमानित मूल्य जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसों पर ऋण भार	शून्य

9.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जुर्माने का प्रकटीकरण

	2009-10	2008-09
क. वर्ष के दौरान बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया जुर्माना	शून्य	शून्य
ख. प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देश या प्रतिकूल टिप्पणियां	शून्य	शून्य

9.2 बैंकाश्योरेंश व्यापार के संबंध प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

(रूपए करोड़ों में)

	2009-10	2008-09
क. आजीवन बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	17.23	15.70
ख. साधारण बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	2.38	2.16
ग. यू.टी.आई.म्यूचुअल फंड व्यापार	0.095	0.152

10 मानक लेखांकन का अनुपालन:

10.1	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी प्रवाह विवरणी	
	(000 को छोड़कर)	
(क) परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत नकदी प्रवाह	2009-10	2008-09
लाभ-हानि खाते के अनुसार निवल लाभ / (हानि)	5088017	4311781
समायोजन हेतु:		

प्रावधान और आकस्मिक व्यय	3687634	2905356
मूल्यहास (निवल)	120500	106315
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-788	-716
बांड, पीसीपीएस तथा आईपीडीआई पर ब्याज	1262701	531111
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	10158064	7853847
समायोजन हेतु		
निक्षेपों में वृद्धि/(कमी)	144794309	98442463
उधारों में वृद्धि/(कमी) -	-2804246	-4652416
अन्य देयताओं में वृद्धि(कमी)	2437579	2543571
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	-53702070	-41520092
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	-81160038	-63375041
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी -	-2775478	-3090613
परिचालन गतिविधियों (क) से नकद प्रवाह -	16948120	-3798281
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
स्थिर आस्तियों में वृद्धि -	-138280	-215810
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	788	716
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह(ख)	-137492	-215094
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
गौण बांड जारी करना	3750000	4000000
गौण बांड का मोचन -	0	-450000
गौण बांडों पर ब्याज, पीसीपीएस एण्ड आईपीडीआई	-1262701	-531111
पीएनसीपीएस पर लाभांश	-127397	0
लाभांश आबंटन कर	-21651	0
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह	2338251	3018889
परिचालन गतिविधियों से नकदी -	16948120	-3798281
निवेश गतिविधियों से नकदी -	-137492	-215094
वित्तीय गतिविधियों से नकदी	2338251	3018889
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्धि -	19148879	-994486
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी व नकदी समतुल्य	28404387	29398873
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य	47553266	28404387

10.2 लाभ-हानि खाते में पूर्व अवधि की कोई मदें शामिल नहीं है जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के

अनुसार ए एस -5 में बताया जाना हो, सिवाय उनके जिन्हें टिप्पणियों में कहीं और दर्शाया गया है।

10.3 लेखा प्रणाली मानक 15 - कर्मचारी लाभ

10.3.1 पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधानों को आई.सी.ए.आई द्वारा जारी संशोधित लेखा मानक (ए.एस.-15) के आधार पर किया गया है। पेंशन निधियों तथा रूग्णावकाश के संबंध में संक्रमण कालीन दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर रु.408.35 करोड़ तथा 01.04.2007 की स्थिति के अनुसार रु.24.79 करोड़ आंका गया है जिसे संशोधित लेखा मानक (ए.एस.-15) के अतर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 से 5 वर्ष की अवधि में समाप्त किया जाएगा। पेंशन निधियों तथा रूग्णावकाश के संबंध में न पहचाने गए बीमांकिक दायित्व को क्रमशः रु. 163.34 करोड़ तथा रु. 9.92 करोड़ आंका गया है।

लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त नियोजनोत्तर लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

10.3.2 बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ों में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
निर्धारित लाभ बाध्यता का 1 अप्रैल को मूल्य	1080.27	1037.63	298.02	272.96	148.19	130.89
ब्याज लागत	86.53	85.60	23.76	22.51	11.86	10.80
वर्तमान सेवा लागत	24.29	23.33	12.27	10.44	19.58	5.41
घटाएं	(62.88)	(35.59)	(20.09)	(14.87)	(8.92)	(6.45)
प्रदत्त लाभ						
बाध्यता पर बीमांकिक हानि/ (लाभ)	(2.62)	(30.70)	(30.41)	6.98	(28.30)	7.54
निर्धारित लाभ बाध्यता का 31 मार्च को मूल्य	1125.59	1080.27	283.55	298.02	142.41	148.19

10.3.3 योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ों में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
योजनागत आस्तियों का 1 अप्रैल को मूल्य	808.66	690.55	292.59	268.18	145.60	127.50
योजनागत आस्तियों से अपेक्षित प्रतिलाभ	69.10	58.70	24.10	22.80	12.49	11.48

नियोजित अंशदान	120.60	93.06	19.05	17.53	11.65	12.87
घटाएं प्रदत्त लाभ	(62.88)	(35.59)	(20.09)	(14.87)	(8.92)	(6.45)
बीमांकिक हानि/ (लाभ)	(1.35)	(1.94)	(0.20)	1.05	(2.84)	(0.20)
योजनागत आस्तियों का 31 मार्च को उचित मूल्य	936.83	808.66	315.85	292.59	163.66	145.60
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	70.45	60.64	24.30	21.75	15.33	11.68

10.3.4 शुद्ध बीमांकिक हानि (लाभ)

(रूपए करोड़ों में)

विवरण	पैशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
मूल्यांकिक हानि/(लाभ) देयताएं(ए)	(2.62)	(30.70)	(30.41)	6.98	(28.30)	7.54
प्लान आस्तियों पर (बी) मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	(1.35)	(1.94)	(0.20)	1.05	(2.84)	(0.20)
शुद्ध मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	(3.97)	(32.64)	(30.61)	8.03	(31.14)	7.34
अवधि के दौरान पहचान की गई हानि/(लाभ)	(3.97)	(32.64)	(30.61)	8.03	(31.14)	7.34
वर्ष के अंत में बिना पहचान वाली मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.3.5 तुलनपत्र में पहचानी गई राशि

(रूपए करोड़ों में)

विवरण	पैशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
31 मार्च को परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	1125.59	1080.27	283.55	298.02	142.41	148.19
घटाएं 31 मार्च को प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	936.83	808.66	315.85	292.59	163.66	145.60
तुलन पत्र में पहचान की गई गैर निधि शुद्ध आस्ति/देयता	(188.76)	(271.61)	32.30	(5.43)	21.25	(2.59)

10.3.6 लाभ तथा हानि खाते में व्ययों की पहचान

(रूपए करोड़ों में)

विवरण	पैशन (निधिक)	ग्रेच्युटी (निधिक)	अवकाश नकदी (निधिक)
-------	--------------	--------------------	--------------------

प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ दर	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50
वेतन में वृद्धि की दर	5.00	5.25	5.00	5.25	5.00	5.25
अनुशय दर	0.50	0.15	0.50	0.15	0.50	0.15
प्रयोग में लाई गई प्रणाली	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी

10.3.10 बीमांकिक मूल्यांकन का आधार

विवरण	मूल्यांकन का आधार
बट्टा दर	देयता के अनुमानित आधार पर सरकारी बांडों की शर्तों के अनुरूप तुलन पत्र की तिथि पर बाजार के अनुरूप लाभ के संदर्भ में बट्टा दर का निर्धारण किया गया है।
प्लान आस्तियों पर अनुमानित दर	संबंधित देयता की पूर्ण अवधि हेतु अवधि के प्रारंभ के समय पर प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ बाजार अनुमानों पर आधारित है।
वेतन में वृद्धि की दर	बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य में वेतन वृद्धि को ध्यान में रखा गया तथा मुद्रा प्रसार, वरिष्ठता, प्रोन्नति तथा अन्य संबंधित घटकों पर विचार किया गया है।
अनुशय दर	अनुशय दर का निर्धारण पूर्व तथा अनुमानित भविष्य के अनुभव के अनुसार निर्धारित किया गया है तथा मृत्यु को छोड़कर इसमें समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित हैं लेकिन इनमें अपंगता कारक भी शामिल है।

10.3.11 अन्य दीर्घ अवधि वाले कर्मचारी लाभ (गैर निधि)

(रूप करोड़ों में)

विवरण	एलटीसी/ एलएफसी नकदीकरण	सिल्वर जुबली बोनस	रूग्ण अवकाश	मेडिकल लाभ	सेवा निवृत्ति उपहार
देयता का वर्तमान मूल्य	8.01	0.27	18.34	0.46	0.74
पारगमन देयता	शून्य	शून्य	9.92	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान पहचानी गई पारगमन देयता	8.01	0.27	4.96	0.46	0.74
पहचान न की गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	9.92	शून्य	शून्य
तुलनपत्र में पहचानी गई देयता	8.01	0.27	4.96	0.46	0.74

प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित

10.3.12 अनुसूची 16 के अंतर्गत "कर्मचारियों को भुगतान तथा प्रावधान" में रु. 45 करोड़ का तदर्थ प्रावधान शामिल है जोकि नवम्बर, 2007 से लम्बित पड़े वेतन पुनरीक्षण समझौते हेतु है (पिछले वर्ष रु. 55 करोड़)।

10.4 लेखामानक-17-खण्ड रिपोर्टिंग

(रूपए करोड़ों में)

व्यावसायिक खण्ड	राजकोष		कारपोरेट/थोक बैंकिंग		फुटकर बैंकिंग		अन्य बैंकिंग प्रचालन		कुल	
	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09
राजस्व	1204.14	806.72	2292.55	1935.91	837.98	900.91	11.32	11.32	4345.99	3654.86
परिणाम	164.67	100.14	735.65	621.49	268.90	289.22	11.32	11.32	1180.54	1022.17
गैर-आबंटित व्यय									302.97	300.45
परिचालन लाभ									877.57	721.72
प्रावधान व आकस्मिक देयताएं									211.10	82.88
आयकर									157.66	207.06
विशेष लाभ/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध लाभ									508.81	431.18
अन्य सूचना										
खण्ड संपत्तियां	18152.91	12841.23	27951.28	19231.29	10216.91	8949.62	0.00	0.00	56321.10	41022.14
गैर-आबंटित संपत्तियां									343.78	341.65
कुल संपत्तियां									56664.88	41363.79
खण्ड देयताएं	17350.24	12238.63	26715.35	18328.82	9765.14	8529.64	0.00	0.00	53830.73	39097.09
गैर-आबंटित देयताएं									218.54	126.36
कुल देयताएं									54049.27	39223.45

नोट: मानक ए.एस.17 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खण्ड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक के व्यवसाय को चार खण्डों में वर्गीकृत किया गया है जोकि अ) राजकोष परिचालन ब) कारपोरेट/थोक बैंकिंग सी) फुटकर बैंकिंग डी) अन्य बैंकिंग परिचालन हैं।

बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है इसलिए भौगोलिक खण्ड की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

कारपोरेट/थोक तथा फुटकर बैंकिंग खण्ड के संबंध में खण्डीय राजस्व, परिणाम, आस्ति तथा देयताओं को इन खण्डों में दिए गए ऋणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

जहाँ खण्डों से संबंधित आस्ति तथा देयताएं, आबंटित की गई हो तथा जहाँ पर ये प्रत्यक्षतः उनसे संबंधित न हो, उनका आबंटन यथा अनुपात खण्ड राजस्व के आधार पर किया गया है।

10.5 लेखा मानक-18- संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

मुख्य प्रबंधन अधिकारी

- I. सरदार आर.पी.सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (25.08.2009 तक)
- II. सरदार जी.एस.वेदी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (26.08.2009 से)
- III. सरदार जी.एस.वेदी, कार्यकारी निदेशक (25.08.2009 तक)
- IV. श्री पी.के.आनंद, कार्यकारी निदेशक (07.12.2009 से)

क) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को दिया गया पारिश्रमिक-

- | | |
|-------------------------------------------------|----------------|
| I. सरदार आर.पी.सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक- | रूपए 19.46 लाख |
| II. सरदार जी.एस.वेदी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | रूपए 8.85 लाख |
| III. सरदार जी.एस.वेदी, कार्यकारी निदेशक | रूपए 8.45 लाख |
| IV. श्री पी.के.आनंद, कार्यकारी निदेशक | रूपए 3.44 लाख |
| V. सरदार जी.एस.माटा, भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक- | रूपए 5.25 लाख |

ख) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों एवं उनके संबंधियों को दिए गए ऋण:

दिनांक 31.03.2010 को बकाया ऋण: शून्य

ग) सहयोगी संस्था

सतलुज ग्रामीण बैंक/आरआरबी - कुल ऋण जोखिम रु. 5.56 करोड़ (सावधि जमा पर ऋण)

10.6 लेखा मानक 22- आय पर करों हेतु लेखांकन

10.6.1 बैंक ने आयकर लेखा-जोखा में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-22, "आय पर करों का लेखांकन" का अनुपालन किया है।

10.6.2 आस्थगित कर अस्तियों/देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं:

(रूपए करोड़ में)

शीर्ष	आस्थगित कर अस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
1. स्थायी अस्तियों पर मूल्यह्रास		शून्य	2.69	2.81
2. उपचित ब्याज लेकिन प्रतिभृतियों पर देय नहीं		शून्य	88.86	70.89
3. वेतन पुनरीक्षण हेतु प्रावधान	33.99	18.69		शून्य
4. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(I) (VII) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि		शून्य	शून्य	3.26
जोड़	33.99	18.69	91.55	76.96

विशेष आरक्षित पर धारा 36(i) (viii) के अंतर्गत बनाई और अनुरक्षित की गई आस्थगित कर देयता पर प्रबंधन के विशेष आरक्षित से आहरित न करने के अटल निर्णय के दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

10.6.3 विधिक विशेषज्ञों की राय के आधार पर लेखा आय तथा प्रतिभृतियों के मूल्य पर आय कर की गणना के स्थायी अंतर को बैंक ने विचार में लिया है तथा तदनुसार रूपए 171.59 करोड़ (पूर्व वर्ष के रु.101.43 करोड़) की राशि की आस्थगित कर देयता के निर्माण को आवश्यक नहीं माना गया है।

10.6.4 विधिक विशेषज्ञों की राय तथा अनुकूल न्यायिक अधिघोषणाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा धारित आयकर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ के प्रावधान पर्याप्त पाए गए हैं।

10.6.5 अपील प्राधिकारियों के निर्णय, न्यायिक प्रणाली तथा कर विशेषज्ञों की राय के अनुसार विवादित आयकर, ब्याज कर की कुल राशि रूपए 177.22 करोड़ (पूर्व वर्ष रूपए 185.11 करोड़) की मांग का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि पूर्ण मांग का भुगतान/देय धन वापसी के एवज में समायोजित कर दिया गया है।

10.7 लेखा मानक 28- आस्तियों के अनर्जक होने संबंधी लेखांकन

ए.एस.-28 में परिभाषित बैंक द्वारा धारित स्थिर आस्तियों को "निगमित आस्तियां" माना गया है न कि "नकदी निर्मित इकाइयां"। प्रबंधन की राय के अनुसार- 31.03.2010 तक समग्र राशि में स्थिर अनर्जक आस्तियां कोई नहीं है।

10.8 लेखामानक 29-ए.एस.29 का अनुपालन-प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का प्रावधान

ए.एस.29 के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रावधानों में आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों हेतु बैंक ने इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है;

पूर्व घटनाओं द्वारा उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसका घटना या न घटना भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर है, पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है। और

(ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको पहचाना नहीं गया है क्योंकि

* यह संभव नहीं है कि संसाधनों के बहिर्गमन से आर्थिक लाभ के दायित्वों का निपटान किया जा सके
या

* देयता राशि का विश्वसनीय अनुमान आंका नहीं जा सका है।

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकार्ड किया गया है। इनका आंकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं के केवल वह भाग जिनमें आर्थिक लाभ का परिलक्षण होता है का प्रावधान किया गया है सिवाय विशेष परिस्थितियों में जहां विश्वसनीय अनुमानों की पहचान नहीं हो सकी।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है क्योंकि इससे उस आय की पहचान हो सकती है जो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती थी।

11.1 अतिरिक्त प्रकटीकरण

(रु करोड़ों में)

लाभ हानि खाते के व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान और आकस्मिक व्ययों का ब्यौरा	2009-10	2008-09
गैर-निष्पादित अग्रिमों हेतु प्रावधान	91.92	64 . 46
गैर-निष्पादित निवेशों हेतु प्रावधान	0.00	-1 . 63
निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	110.80	-0 . 16
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	5.74	11 . 95
आय-कर हेतु प्रावधान	159.94	92 . 56
आस्थगित कर हेतु प्रावधान	-0.70	55 . 45
अनुषंगी लाभ कर प्रावधान	0.00	1 . 53
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-1.74	58 . 03
अन्य	2.80	8 . 34
कुल	368.76	290 . 53

11.2 अस्थाई प्रावधानों में घट-बढ़

(रु करोड़ों में)

	2009-10	2008-09
अथ शेष	शून्य	शून्य

वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरण से गिरावट	शून्य	शून्य
इति शेष	शून्य	शून्य

11.3 आरक्षित निधि से आहरण

पुरानी प्रविष्टियों के दावेदारों को भुगतान करने के लिए सामान्य आरक्षित निधि खाते से रु 3.32 लाख (पिछले वर्ष रु. 1.76 लाख) की राशि का आहरण किया गया।

11.4 ग्राहक शिकायतें

		2009-10	2008-09
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	12	40
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	555	483
ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	549	511
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	18	12

11.5

बैंकिंग लोकपाल निर्णीत मामले

क)	वर्ष के आरंभ में गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	1
ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या	19	16
ग)	वर्ष के दौरान क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	19	16
घ)	वर्ष के अंत में लंबित गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	1

11.6 जमाओं, अग्रिमों, जोखिमों एवं एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

11.6.1 जमाओं का केंद्रीकरण

(रूपएं करोड़ में)

	31.03.2010
सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की कुल जमा	11411.45
बैंक की कुल जमा में सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत	23.21%

11.6.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण

(रूपएं करोड़ में)

	31.03.2010
सबसे बड़े 20 ऋणियों को कुल अग्रिम	8155.91
बैंक के कुल अग्रिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों को अग्रिम का प्रतिशत	24.91%

11.6.3 जोखिमों का केंद्रीकरण

(रूपएं करोड़ में)

	31.03.2010
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम	8392.85
बैंक के ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम का प्रतिशत	24.84%

11.6.4 एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

(रूपएं करोड़ में)

	31.03.2010
सबसे बड़े चार एन.पी.ए. खातों पर कुल जोखिम	59.08

11.7 क्षेत्रवार एन.पी.ए.

क्र.सं.	क्षेत्र	दिनांक 31.03.2010 को उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए. का प्रतिशत
1.	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	0.73
2.	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	1.69
3.	सेवा क्षेत्र	0.57
4.	व्यक्तिगत ऋण	1.04

11.8 एन.पी.ए. में उतार-चढ़ाव

(रूपएं करोड़ में)

विवरण	31.03.2010
1 अप्रैल को सकल एन.पी.ए. (अथ शेष)	161.04
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एन.पी.ए.)	208.05
उप-योग (क)	369.09
घटा: (i) कोटि उन्नयन	33.87
(ii) वसूलियां (कोटि उन्नयन खातों से की गई वसूली के अतिरिक्त)	128.78
(iii) बट्टे खातों में डालना	0.29
उप-योग (ख)	162.94
31 मार्च को सकल एन.पी.ए. (इति शेष) (क-ख)	206.15

11.9 विदेशी आस्तियां, एन.पी.ए. एवं राजस्व

(रूपएं करोड़ में)

विवरण	31.03.2010
कुल आस्तियां	196.60
कुल एन.पी.ए.	0.19
कुल राजस्व	1.26

11.10 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी.

(रूपएं करोड़ में)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
घरेलू	विदेश
शून्य	शून्य

12. जहां सूचना उपलब्ध नहीं थी, को छोड़कर और जहां आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

13. बैंक ने भारत सरकार को लाभांश के भुगतान से छूट हेतु प्रतिवेदन किया है। भारत सरकार से अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण इक्विटी शेयर्स पर लाभांश के लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है।